ISSN No. 2231-0045 VOL.II* ISSUE-I*AUGUST-2013
Periodic Research

तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता

नसरीन रहमान शेख
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
गृहविज्ञान
शासकीय कन्या महाविद्यालय,
बड़वानी इंदौर
nrs_nss@rediffmail.com

सुंदर त्यागी
शोधार्थी
गृहविज्ञान
गंटूर जिला विजयवाड़ा
(आंध्रप्रदेश)
manojkumar_cse@klce.ac.in

सारांश

अनेक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारणों से भारतीय समाज में अधिकांश महिलाओं की प्रस्थिति वर्तमान समय में भी कमजोर वर्ग की बनी हुई है। जिसका परिणाम है कि महिला को या तो तलाकशुदा जीवन–यापन करना पड़ता है या परित्यक्ता का जीवन जीने को विवश होना पड़ता है और फिर इसी समाज द्वारा इन परित्यक्ता व तलाकशुदा महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है। जिसका इनके संवेगात्मक पक्ष पर अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन में तलाकशुदा महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता का अध्ययन एवं परित्यक्ता महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता का अध्ययन किया गया। तुलनात्मक अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट है कि परित्यक्ता महिलाओं की अपेक्षा तलाकशुदा महिलाएँ संवेगात्मक रूप से अधिक परिपक्व है।

मुख्य शब्द : संवेगात्मक पक्ष, वैवाहिक सम्बन्ध, इमोशनल मैच्यूरिटी, स्केल

प्रस्तावना

तलाक न केवल महिलाओं व बालकों को प्रभावित करता हैं अपितु पारिवारिक,सामाजिक ,धार्मिक मान्यताओं, शैक्षणिक और स्वास्थ्य (शारिरिक और मानसिक) पर भी गहरा प्रभाव डालता है (पेट्रिक एफ फागन,आरॉन चर्चिल,2012) । इक्कीसवी सदी में महिलाओं के शिक्षित व जागरूक होने के कारण जब वह अपने अधिकारों की माँग व प्रयोग करती है, जिसे अधिसंख्य पुरूष समाज स्वीकार करने में समर्थ नही है, इसी के परिणामस्वरूप महिला को या तो तलाकशुदा जीवन–यापन करना पड़ता है या परित्यक्ता का जीवन जीने को विवश होना पड़ता है और फिर इसी समाज द्वारा इन परित्यक्ता व तलाकशुदा महिलाओं को हेय दृष्टि से देखा जाता है। जिसका इनके संवेगात्मक पक्ष पर अत्यधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑलानियि बोजूवॉये ,ऑरॉक अकपन (2009) के अनुसार विश्व में तलाक की संख्या निरन्तर बढ़ने से टूटे धरों में बालक बड़े हो रहे हैं ,यधपि तलाक सभी बालकों को प्रभावित करता हैं परन्तु सभी बालक एक ही तरह से प्रतिकिया नही करते कुछ बालकों के लिए माता पिता का तलाक व्यक्तिगत त्रासदी हैं तो कुछ बालकों के लिए पारिवारिक झगड़ों की तनाव पूर्ण जीवन शैली से मुक्ति हैं। कूपर एवं कूपर (1985) के अनुसार ''वह स्त्री जिसने अपनी वैवाहिक संबंधो का अन्त कानून एवं धार्मिक विधि द्वारा कर लिया है, तलाकशुदा महिला कहलाती है।'' प्रस्तुत शोध में उन महिलाओं को सम्मिलित किया गया है जिन्हें उनके पति द्वारा तलाक दिया गया है। तलाक के साथ ही वर्तमान समय में परित्याग की प्रकृति भी दिखाई दे रही हैं। वह विवाहित स्त्री जिसको परिवार के सदस्यों द्वारा पति से अलग रहने के लिये मजबूर किया गया हो या जिसकों उसका पति जबरदस्ती घर से निकाल देता है। परित्याग के अनेक उदाहरण है, जैसे पति अपनी पत्नी को मायके छोड़ जाता है और उसे वापस नही बुलाता। इसके विपरीत पत्नी स्वंय ही पति के बुरे आचरण से तंग आकर पति का घर छोड़कर अन्यत्र चली जाती है। प्रस्तुत शोध में वह विवाहित स्त्रो जिसको परिवार के सदस्यों द्वारा पति से अलग रहने के लिये मजबूर एवं उसका पति जबरदस्ती घर से निकला देता है, को भी अपने उत्तरदाता के रूप में चुना गया है।

अध्ययन का महत्त्व

आधुनिक युग में तलाक एंव परित्याग एक वृहद् सामाजिक समस्या हैं। आधुनिकता के परिणामस्वरूप होने वाले दुष्परिणामों में से तलाक भी एक है। पूर्व की तुलना में वर्तमान में तलाक की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। यद्यपि यह दोनों ही पक्षों के लिये दुःखद है, लेकिन फिर भी इसका सर्वाधिक

प्रभाव महिलाओं पर ही होता रहा है। चाहे किसी भी जाति, धर्म की महिला हो, तलाक सभी को बराबर प्रभावित करता है।

प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है, कि तलाकशुदा एवं परित्यक्ता (हिन्दु व मुस्लिम) महिलाओं की जीवन स्थिति पर तलाक एवं परित्याग का क्या प्रभाव होता है ? तथा उनकी संवेगात्मक परिपक्वता किस प्रकार प्रभावित होती है ? क्योंकि महिला की शारीरिक, मानसिक स्थिति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। महिलाओं के अतिरिक्त उनके परिवार विशेषकर उनके बालकों पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखने में आता है। इस द्वंदात्मक परिस्थिति में फंसकर बालकों का विकास अवरूद्ध हो जाता है और उनके व्यक्तित्व, प्रतिभा पर भी विपरीत प्रभाव परिलक्षित होने लगता है। प्रस्तुत अध्ययन सम्मिलित रूप से उपरोक्त सभी समस्याओं के गहन विश्लेषण पर आधारित है, जिससे इन समस्याओं के वास्तविक कारणों को समझा जा सके और उन्हें दूर करने के लिये सुझाव दिये जा सके।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य तलाकशुदा महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना था। तलाक शुदा महिलाएं वैधानिक रूप से पति से अलग होकर जीवनयापन करती हैं इस प्रकार तलाक में वैवाहिक सम्बन्धों की समाप्ति पर सामाजिक एवं कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती हैं, परन्तु महिलाओं का एक वर्ग वह भी है जहॉ विवाह के पश्चात विवाहित स्त्री को पति से अलग रहने के लिए विवश किया जाता है परन्तु इसे वैधानिक स्वरूप प्राप्त नही होता । अतः प्रस्तुत अध्ययन का एक उददेश्य परित्यक्त महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता का अध्ययन करना भी था। प्रस्तुत अध्ययन में हिन्दु मुस्लिम दोनों समुदायों की महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। अतः हिन्दु मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता का एवं हिन्दु मुस्लिम परित्यक्त महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया ।

उपकल्पना :

1. तलाकशुदा महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता परित्यक्ता महिलाओं की अपेक्षा अधिक होती है।
2. हिन्दु तलाकशुदा महिलाओं की अपेक्षा मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता अधिक होती है।
3. हिन्दु परित्यक्त महिलाओं की अपेक्षा मुस्लिम परित्यक्त महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता अधिक होती है।

शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन में निदर्शन के लिये मेरठ जिले से हिन्दु–मुस्लिम समुदाय की तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं का चयन किया गया है। शोध के लिये 50 तलाकशुदा एवं 50 परित्यक्ता महिलाओं का चयन किया गया है, जिन्हें निम्न तालिका मे दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक 1 –

तलाकशुदा एवं परित्यक्त महिलाएॅ–प्रतिदर्श

समूह	हिन्दु	मुस्लिम	महायोग
तलाकशुदा महिलाएं	25	25	50
परित्यक्त महिलाएं	25	25	50
योग	50	50	100

शोध उपकरण

संवेगात्मक परिपक्वता परीक्षण :

तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओ की संवेगात्मक परिपक्वता जानने के लिये यशवीर सिंह एवं एम. भार्गव द्वारा प्रतिपादित ''इमोशनल मैच्युरिटी स्केल (ई. एम.एस.)'' 1984 का प्रयोग किया गया हैं। मापनी में 48 कथन है।

प्रदत्तों का विश्लेषण

शोध में तथ्य स्वयं मे तो केवल कुछ सूचना ही देते है, लेकिन जब इनका विश्लेषण किया गया तो इनसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए। विश्लेषण करने के लिये प्राप्त प्रदत्तों का सार्थकता के स्तर पर परीक्षण करने के लिये ''t'' परीक्षण का प्रयोग किया गया।

तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओ की संवेगात्मक परिपक्वता

संवेगात्मक परिपक्वता का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है, कि तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता में सार्थक अन्तर है (t मूल्य = 4.99)। जिसमें तलाकशुदा महिलाओं का माध्य 75.66 और परित्यक्ता महिलाओं का माध्य 90.22 है(तालिका क्रमांक 2)। चित्र क्रमांक 1 यह परिणाम दर्शाता है। प्रस्तुत शोध की उपकल्पना ''तलाकशुदा महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता परित्यक्ता महिलाओं की अपेक्षा अधिक होती है स्वीकृत हुई है। परित्यक्ता महिलाओं के संवेगात्मक रूप से कम परिपक्व होने के कारण उनकी मानसिक द्वन्द की स्थिति भी सामने आयी है, क्योंकि तलाक न होने के कारण परित्यक्ता महिलायें न तो तलाकशुदा महिला की तरह और न ही विवाहित की तरह रह पाती है एवं कई बार दुविधापूर्ण स्थिति होने पर इस मनोदशा का उनकी संवेगात्मक स्थिति पर अत्याधिक प्रभाव पड़ने के कारण परित्यक्ता महिलाओं में चिड़चिडापन सांवेगिक अस्थिरता, सांवेगिक दमन एवं सामाजिक कुसमायोजन उदासी, निराशा तथा व्यक्तित्व विघटन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे उनकी संवेगात्मक परिपक्वता कम होती जाती है। इसके विपरीत तलाकशुदा महिलायें तलाक होने के पश्चात इस द्वन्दात्मक स्थिति स बाहर निकल आती है, अर्थात उनका ससुराल पक्ष के परिवार तथा उस परिवार के तनाव से कोई सम्बन्ध नही रहता और ऐसी महिलायें स्वयं को तलाकशुदा महिला के रूप में स्वीकार कर लेती है।

तालिका क्रमांक 2
तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता सम्बन्धी विभिन्नताएं

समूह	पदों की संख्या N	माध्य M	प्रमाप विचलन S.D.	S_E.diff.	''t'' मूल्य
तलाकशुदा महिलायें	50	75.66	14.310	2.92	4.99''
परित्यक्ता महिलायें	50	90.22	14.623		

(0.01 विश्वसनीय स्तर पर सार्थक)

चित्र क्रमांक 1
तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं एवं संवेगात्मक परिपक्वता

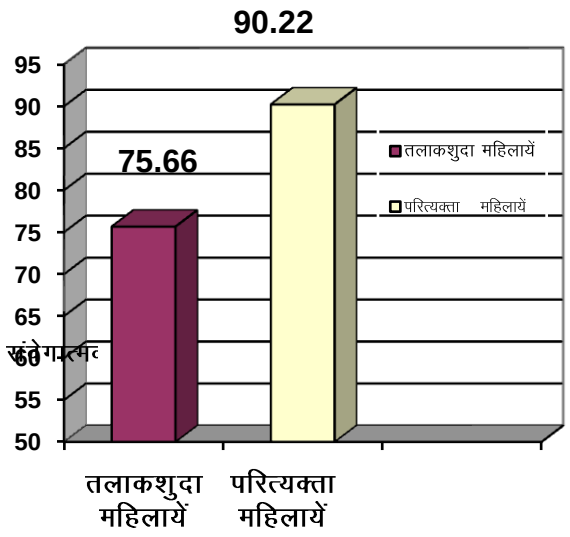

हिन्दु–मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता

हिन्दु तलाकशुदा एवं मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता के परिणामों की विवेचना करने पर (" t " मुल्य 2.76) है जोकि 0.05 स्तर पर सार्थक है(तालिका कमांक 3)। हिन्दु तलाकशुदा महिलाओं का माध्य 81.04 हैं और मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं का माध्य 70.28 है। चित्र क्रमांक 1.1 यह परिणाम प्रदर्शित करता है कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलायें हिन्दु तलाकशुदा महिलाओं की अपेक्षा संवेगात्मक रूप से अधिक परिपक्व पायी गयी। अध्ययन की उपकल्पना हिन्दु तलाकशुदा एवं मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओ की संवेगात्मक परिपक्वता में अन्तर पाया जाता है, स्वीकार्य हुई है।

हिन्दुओं में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है अर्थात विवाह को सात जन्मों तक का सम्बन्ध माना जाता है। यदि किसी महिला का तलाक होता है तो समाज उस महिला को ही उत्तरदायी मानता है। दूसरे हिन्दु तलाक प्रक्रिया अधिक लम्बी व जटिल होती है। इस कानूनी अवधि से गुजरना ही एक त्रासदी के समान हो जाता है जिसका बहुत गहराई तक इन महिलाओं की मनोदशा पर प्रभाव पड़ता है। समाज एवं कानून इन दोनों के कारण महिलायें बहुत असहज हो जाती है। जिससे उनकी संवेगात्मक–परिपक्वता भी प्रभावित हुये बिना नही रहती । इसके विपरीत मुस्लिम तलाक की प्रक्रिया इतनी जटिल व लम्बी नही होती है। एवं मुस्लिम समाज भी कुछ सीमा तक उन्हें स्वीकृति प्रदान कर देता है, साथ ही उनके पुर्नविवाह के लिए भी रास्ते खुले होते है।

तालिका क्रमांक 3
हिन्दु–मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता सम्बन्धी विभिन्नताएं

समूह	पदों की संख्या N	माध्य M	प्रमाप विचलन S.D.	S_E.diff	''t'' मूल्य
हिन्दु तलाकशुदा महिलायें	25	81.04	16.150	3.89	2.76'
मुस्लिम तलाकशुद महिलायें	25	70.28	10.133		

(0.05 विश्वसनीय स्तर पर सार्थक)

चित्र क्रमांक 1.1
हिन्दु–मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं एवं संवेगात्मक परिपक्वता

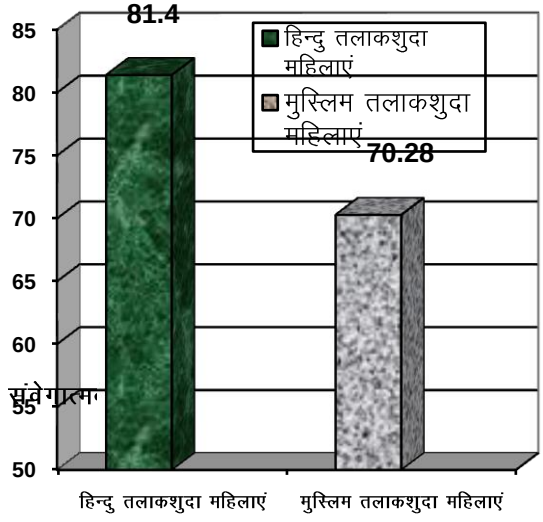

परित्यक्ता हिन्दु–मुस्लिम महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता

हिन्दु–मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता की विवेचना करने पर हिन्दु परित्यक्ता महिलाओं

का माध्य 89.36 और मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं का माध्य 91.08 है (तालिका कमांक 4)। हिन्दु मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता में सार्थक अन्तर नही पाया गया। क्योंकि दोनों धर्मों में परित्यक्ता हिन्दु–मुस्लिम महिलाओं की स्थिति समान ही होती है चित्र क्रमांक 1.2 ।

तालिका क्रमांक 4
परित्यक्ता हिन्दु–मुस्लिम महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता सम्बन्धी विभिन्नताएं

समूह	पदों की संख्या N	माध्य M	प्रमाप विचलन S.D.	SE. diff.	''t'' मूल्य
हिन्दु परित्यक्ता महिलाएं	25	89.36	17.278	4-22	– 0.40
मुस्लिम परित्यक्ता महिलाएं	25	91.08	11.364		

चित्र क्रमांक 1.2
हिन्दु–मुस्लिम परित्यक्ता महिलाएं एवं संवेगात्मक परिपक्वता

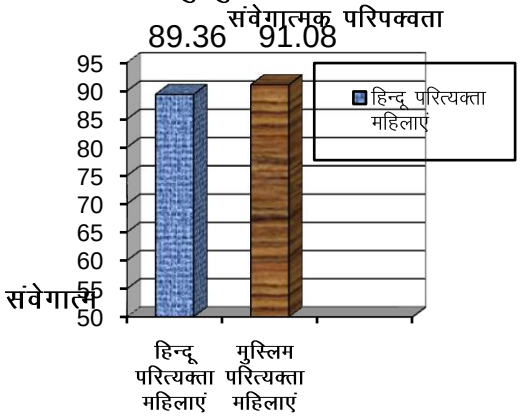

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता का अध्ययन करने पर तलाकशुदा महिलाओं को परित्यक्ता महिलाओं की अपेक्षा संवेगात्मक रूप से अधिक परिपक्व पाया गया है। हिन्दु–मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता का भी अध्ययन किया गया। प्राप्त परिणामों के आधार पर मुस्लिम तलाकशुदा महिलायें अपेक्षाकृत संवेगात्मक रूप से अधिक परिपक्व पायी गयी। हिन्दु–मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं की संवेगात्मक परिपक्वता में बहुत कम अन्तर पाया गया।

सुझाव

1. आश्रमों का निर्माण :– ऐसी तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलायें जिनके माता–पिता या परिवार वाले साथ में रखने में असमर्थ है अथवा रखना नही चाहते है, उनके लिये आश्रमों का निर्माण होना चाहिये। जिसमें उनके बच्चों को भी साथ रहने की व्यवस्था हो। तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं की आश्रमों की व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिये। इस प्रकार ये महिलाएं स्वयं इन कार्यो में व्यस्त रहेगी और अपने आप को उपेक्षित–सा अनुभव नही करेगी।

2. रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम का प्रशिक्षण :– तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को उनके शिक्षा–स्तर के अनुसार रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये, जिससे ये महिलायें आर्थिक उपार्जन कर आत्मनिर्भर बन सके। इस प्रकार उनमें आत्मविश्वास की भावना जाग्रत होगी।

3. बालकों के लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था :– तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं के बालकों की शिक्षा हेतु शासन द्वारा छात्रवृत्ति की व्यवस्था होना चाहिये। यह छात्रवृत्ति रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त करने तक मिलनी चाहिये।

4. कानून को सुदृढ़ बनाया जाये :– आश्रमों एवं अपने माता–पिता अथवा अपने रिश्तेदारों के साथ रहने वाली इन सभी तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को भरण–पोषण भत्ता दिलवाने के लिये कानून को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। जिससे इन महिलाओं को यथार्थ रूप में भरण–पोषण भत्ता मिल सके और ये अपने बालकों का अच्छी प्रकार पालन–पोषण कर सके।

5. कानूनी सलाहकार :– परित्यक्ता महिलाआ के लिये कानूनी सलाहकारों की व्यवस्था होनी चाहिये। क्योंकि अधिकांश परित्यक्ता महिलायें कानूनी सलाहकार का खर्च वहन न कर पाने के कारण कोई कानूनी कार्यवाही नही कर पाती।

6. परामर्शदाता की व्यवस्था :– तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं तथा उनके बालकों को संवेगात्मक समस्याओं से उबारने के लिये निःशुल्क परामर्शदाताओं की व्यवस्था भी होनी चाहिये, जिससे ये महिलायें अपनी संवेगात्मक भावनाओं पर विजय प्राप्त कर अपने बालकों का उचित पालन–पोषण कर सके। बालक भी अपनी योग्यताओं को विकसित कर समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे सके।

7. समाज को भी तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं के प्रति अन्य सदस्यों की तरह व्यवहार करने हेतु जागरूक बनना होगा। समाज का अच्छा व्यवहार इन महिलाओं के खोये हुये आत्मविश्वास को जाग्रत कर सकेगा और ये महिलायें भी सन्तुलित जीवन व्यतीत कर पायेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. Baber, R.E. ¼1953½ *"Marriage and the Family" pp. 450-458*
2. Chamberlain (1960) *"Adolescence to maturity" London The Badley Head.*
3. Datar, Chhaya (Ed.) (1993) *"The struggle Against Violence"* The Indian Press Pvt. Ltd. (Calcutta)
4. Davis, Kingseley (1959) *"Human Society" pp. 426-427*
5. Frandsen, A.N. (1961) *"Educational Psychology, The Principles of Learning in Teaching"* Mc. Graw-Hill Book Company Inc.
6. Kuper, Adam. and Kuper, Jessica (eds.) (1985) *"The social science Encyclopedia"* (London).
7. Morgan, J.J.B. ¼1934½ " Keeping a sound Mind" Macmillan Company (New York)
8. Olaniyi Bojuwoye, Orok Akpan "Children's Reactions to Divorce of Parents" The Open Family Studies Journal, 2009, 2, 75-81
9. Olaniyi Bojuwoye, Orok Akpan (2009) "Children's Reactions to Divorce of Parents," The Open Family Studies Journal, , 2, 75-81
10. Patrick F. Fagan , Aaron Churchill (2012) "The Effects of Divorce on Children" Family Research Council 801 G St, NW Washington, DC 20001
11. Smitson, W.B. (1974) *"The Psychology of Adjustment Concepts and Applications"* Mc. Graw Hill BookCompany (New York)
12. डॉ. राजकुमार (2005) *''नारी के बदलते आयाम'' अर्जुन पब्लिशिंग हाउस (नई दिल्ली)*